(ख) वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 (31-12-88 तक) के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपनी विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को वितरित राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

वितरित राशि	(रु० करोड़ में)			
	1987-88		1988-89 (31-12-88 तक)	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
खादी	43.69	24.99	31.04	13.31
ग्रामोद्योग	13.57	53.58	11.92	33.57

जिन सहकारी समितियों, संस्थाओं और व्यक्तियों को खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा सहायता दी गयी थी उनकी संख्या से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) उपयुक्त भाग "ख" में उल्लिखित अवधि के दौरान वितरित किए गए ऋणों का वापस भुगतान अभी तक देय नहीं हुआ है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाये जा रहे ग्रामीण उद्योगों में नियुक्त कर्मकारों और कारीगरों की आय

672. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीतसिंह अरोड़ा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के राज्य बोर्डों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उद्योगों में श्रमिकों व कारीगरों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1986-87 और दिसम्बर, 1988 में यह संख्या कितनी थी;

(ग) क्या इन उद्योगों में कार्य कर रहे कारीगरों द्वारा अर्जित वार्षिक आय का भी अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि इनकी आय गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए निर्धारित की गयी आय की सीमा से अधिक नहीं है; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने खादी कार्यकलापों में कार्यरत श्रमिकों एवं कामगारों की संख्या वर्षों से बढ़ रही है। खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र द्वारा वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 में दिये गये रोजगार का योग नीचे दिया गया है:

1986-87	40.70 लाख
1987-88	41.80 लाख

(ग) और (घ) खादी और ग्रामोद्योग उत्पादन करने वाली विभागीय एककों एवं खादी संस्थानों द्वारा अपनाने के लिए काम के आधार पर मजदूरी की एक पद्धति निर्धारित की है। खादी क्षेत्र निम्नलिखित श्रमिकों/कारीगरों को औसत मजदूरी प्रदान करता है जो प्रतिदिन 8 घंटे पूरे समय कार्य करते हैं:

—नये मॉडल चरखे पर खादी कताई करने वालों को 10 रु० से 20 रु० प्रतिदिन तक।

—संशोधित करघों पर खादी बुनकरों को 15 रूत से 30 रु० प्रतिदिन तक।

ग्रामोद्योग के मामले में संस्थानों द्वारा भुगतान किया गया पारिश्रमिक, जो अधिकांश सहकारी क्षेत्र में है कार्यकलाप से कार्यलाप और उद्योग से उद्योग में भिन्न-भिन्न है। तथापि, ग्रामोद्योग के अधीन, एक कारीगर की औसत प्रतिदिन आय 15 रु० से 25 रु० के बीच है।

हिमाचल प्रदेश में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति

673. **श्री राम जेठमलानी:**
श्री राम नरेश यादव:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा हिमाचल प्रदेश में रसोई गैस आम उपभोक्ताओं में वितरित करने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को प्राधिकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की व्यवस्था किसी अन्य राज्य में भी की गयी हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रथा को केवल हिमाचल प्रदेश में ही प्रारम्भ किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने राज्य के अनेकों शहरों में गैस वितरण का काम कुछ अन्य निजी क्षेत्र की एजेंसियों को सौंप दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को केवल बिचौलिये की भूमिका अदा करने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त): (क) से (ग) जैसाकि कई राज्यों के विभिन्न भागों में ऐसे कारपोरेशनों के संबंध में किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल सप्लाई कारपोरेशन को भी इस राज्य में एल०पी०जी० वितरक नियुक्त किया गया है।

(घ) और (ङ) हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने 5 स्थानों अर्थात् नूरपुर, नालागढ़, रामपुर, बुशहर और जोगेन्द्र नगर में एल०पी०जी० वितरण केन्द्रों का प्रबन्ध पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को दिया है बशर्ते कि एल०पी०जी० के वितरण में कोई हानि/कोई लाभ न हो।

रसोई गैस कनेक्शनों की संख्या में कमी

674. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में गत तीन वर्षों के दौरान आम उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले रसोई गैस के कनेक्शनों की संख्या में निरन्तर कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो 1986-87, 1987-88 में और चालू वर्ष में अब तक उपलब्ध कराये गये नये रसोई गैस कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या गैस कनेक्शनों की कमी का कारण एल० पी० जी० गैस की अपर्याप्त उपलब्धता है अथवा गैस की उपभोक्ता तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था न होना इसका कारण है; और

(घ) इस संबंध में सरकार के भावी रचनात्मक प्रस्ताव क्या-क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त): (क), (ग) और (घ) तेल उद्योग द्वारा पूरे देश में उपभोक्ताओं के नामांकन के अपने वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप में नये एल०पी०जी० कनेक्शन जारी किये जाते हैं। बशर्ते कि एल०पी०जी० की उपलब्धता में भी वृद्धि हो।

(ख) सूचना इस प्रकार है:—

वर्ष	जारी किये गये नये कनेक्शन (लाख)
1986-87	17.08
1987-88	14.37
1988-89 (जनवरी, 1989 तक)	9.76

Setting up of refinery in the Joint Sector at Karnal

675. SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had taken a decision to set up a refinery in the joint sector at Karnal; if so, whether construction work of this project has since been started in pursuance of that decision;

(b) if so, what amount has been spent on this project till December, 1988;

(c) whether it is also a fact that Government have not so far decided the broad outlines of this project; and

(d) if so, what are the details in this regard and what is the target fixed for the completion of this project?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM